



संख्या: 916/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2021/05(37)-मा०सं०(04)/2020 (टी०सी०) दिनांक 22 अप्रैल, 2021

जिलाधिकारी,
सोनभद्र/कानपुर/एटा/अलीगढ़/झाँसी एवं
लखनऊ।

जैसा कि आप अवगत है कि विद्युत विभाग अति महत्वपूर्ण अनिवार्य सेवाओं के अन्तर्गत आता है। कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के कारण हुए लॉकडाऊन में विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में लखनऊ मुख्यालय एवं विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति सुचारु रूप से प्रदान किए जाने हेतु पूर्ण निष्ठा से हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

अतः कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु 45 वर्ष से आयु से अधिक अधिकारियों/कार्मिकों का टीकाकरण स्वास्थ्य केन्द्रों पर कराया जा रहा है, परन्तु 45 वर्ष से कम उम्र के अधिकारी/कर्मचारी/संविदा कर्मी जो फ्रन्ट लाईन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका भी टीकाकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि अपने जिले की उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की परियोजनाओं एवं शक्ति भवन, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत 45 वर्ष से कम उम्र के समस्त अधिकारी/कर्मचारी/संविदा कर्मी जो फ्रन्ट लाईन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, का भी टीकाकरण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सेन्थिल पाण्डियन सी०)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 916-मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वाणिज्य/वित्त), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/जवाहरपुर तापीय परियोजना, सोनभद्र/कानपुर/झाँसी/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)।
4. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र/कानपुर/एटा/अलीगढ़/झाँसी एवं लखनऊ।

(सेन्थिल पाण्डियन सी०)
प्रबन्ध निदेशक